



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 श्रावण, 1942 (श०)

संख्या- 358 राँची, शुक्रवार,

7 अगस्त, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

17 जुलाई, 2020

संख्या-5/आरोप-1-87/2017-6934 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री प्रदीप कुमार महतो, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गढ़वा सदर, गढ़वा के विरुद्ध उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने एवं विकास योजना के क्रियान्वयन में उदासीनता बरतने, मनरेगा अन्तर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में न्यूनतम प्रतिदिन 100 मानव दिवस प्रति पंचायत सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध शून्य मानव दिवस सृजन, शत-प्रतिशत मजदूरों को डी0बी0टी0 के माध्यम से मजदूरी के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 69% मजदूरों को ही डी0बी0टी0 के माध्यम से मजदूरी भुगतान, कुल 1832 डोभा निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 555 पर ही कार्य प्रारंभ, शत प्रतिशत जॉब कार्ड का सत्यापन के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 34% जॉब कार्ड का सत्यापन एवं पूर्व की मनरेगा योजनाओं को पूर्ण कर बन्द करने के विभागीय निदेश के उल्लंघन करने संबंधी आरोप, जैसा कि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3249, दिनांक 22.06.2017 द्वारा गठित प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री महतो के विरुद्ध प्रपत्र- ‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री महतो को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।
4. श्री महतो द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
5. श्री महतो के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री आनंद कुमार वर्मा, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।
6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PRADEEP KUMAR MAHTO 111003186522	श्री प्रदीप कुमार महतो, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गढ़वा सदर, गढ़वा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
